राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

(जी–3, राजमहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम, जयपुर–302015)
वेबसाईट–www.cmar-india.org ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com टैलीफोन– 0141–2222403 फैक्स–2222805

क्रमांकः– प.8(क)(या) / नियम / डीएलबी / 16 / 2612-2809 जयपुर, दिनांकः 7/2/17

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।
2. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– आवारा अनियंत्रित एवं स्वछन्द पशुओं के विचरण के कारण यातायात प्रबंधन में हो रही अव्यस्थाओं बाबत्।

प्रसंगः– लोकायुक्त सचिवालय का अ..शा. पत्रांक 16 (373) लोआस / 16 / 28688–689 दिनांक 17.10.2016, कमांक 34795 दिनांक 29.11. 2016, कमांक 40639 दिनांक 11.01.17 के कम में।

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में विभागीय पत्र कमांक 7861–8081 दिनांक 01.02.2017 के द्वारा सभी नगरीय निकायो से सूचना चाही गई थी जो अभी तक अप्राप्त है। इस कम में पुनः स्मरण पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व में चाही गई सूचना के अतिरिक्त लोकायुक्त सचिवालय द्वारा दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रो की छायाप्रतियां प्रेषित कर राजस्थान के सभी नगर निगम / परिषद / पालिकाओं से उपरोक्त समाचार पत्रो में विभिन्न तिथियो में प्रकाशित समाचार में प्रकाशित खबरो में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में निम्न सूचना चाही गई हैः–

1. शहर की सडको पर घूमने वाले आवारा पशुओ को अवरूद्ध करने / नियंत्रित करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?
2. शहर की सडको पर घूमने वाल आवारा पशुओ के द्वारा प्लास्टिक नहीं खाने तथा प्लास्टिक खाने के कारण उनकी मौते नहीं हो इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

उपरोक्त सूचना के साथ–साथ पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 01.02.2017 के संदर्भ में निम्न सूचना भी प्रेषित करेः–

1. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 247, 248, 250, 251, 254, 258 व 267 के तहत अब तक क्या कार्यवाही की गई है? इसकी विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट, वसूली गई जुर्माना राशि, निस्तारण की स्थिति?
2. क्या उपलब्ध कांजी हाउस में जानवरों को उचित रूप रखे जा सकने की पर्याप्त क्षमता है? क्या यह क्षमता वर्तमान आवश्यकताओं के अनसुार यथेष्ठ है?
3. क्या आवारा पशुओं को सडकों से कांजी हाउस लाने के लिए परिवहन व उनके चारे की उचित व्यवस्था है? यदि नहीं तो आवश्यक बजट की मात्रा आदि?

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मिल्कमेन कॉलोनी विकास समिति बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 2007 पेज 1046 (एस.सी.) आर.एल.डब्ल्यू. 2007(2) पृष्ठ संख्या 1008 (निर्णय की प्रति संलग्न) में दिये निर्देशों की पालना में राजमार्गो से कचरा उठाकर उसमें से पॉलीथीन की थैलियों को पृथक करके उन्हे नष्ट करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या इन्हे हस्तकौशल से अथवा किसी यंत्र (Machine) द्वारा नष्ट किया जा रहा है? यदि नहीं तो इस हेतु भविष्य की राजस्थान गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 15 के तहत पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने के परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि अब तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है तो क्या भविष्य के लिए कोई योजना बनाई गई है?

अतः उपरोक्त सूचनाये आवश्यक रूप से इस विभाग को सात दिवस में भिजवाई जानी सुनिश्चित करावे ताकि लोकायुक्त सचिवालय को निश्चित अवधि में प्रतिउत्तर प्रेषित किया जा सके।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव